न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा
(म0प्र0)

Rs 20/-

0817 #113

राजेन्द्र कोटवार तनय श्री रामिलन कोटवार, निवासी ग्राम पटरहाई
तहसील- रामपुर बघेलान, जिला-सतना (म0प्र0) -------- निगरानीकार

अधिवक्ता श्री ...
... प्रस्तुत।
दिनां. दि. 11-10-12

बनाम

01- ललित कुमार उर्फ लुल्ली कोटवार तनय श्री जयराम कोटवार

02- राजेश कोटवार उर्फ धुन्धा कोटवार तनय श्री रामशिरोमणि कोटवार

03- मोलिया बेवा रामिलन कोटवार,

04- रावेन्द्र कोटवार तनय रामिलन कोटवार

05- धंगी पुत्री रामिलन कोटवार

06- संखी पुत्री रामिलन कोटवार

07- बूटी पुत्री रामिलन कोटवार

08- जयराम कोटवार तनय शिवबालक कोटवार

09- रामशिरोमणि तनय शिवबालक कोटवार

10- रज्जू पुत्री शिवबालक कोटवार,

सभी निवासी ,ग्राम पटरहाई, तहसील-रामपुर बघेलान, जिला-सतना
(म0प्र0) ---------गैर निगरानीकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय
श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी,
महोदय, रामपुर बघेलान, जिला
सतना (म0प्र0) आदेश दिनाँक -
13/08/2012 .
राजस्व प्रकरण क्रमांक-76/अपील/
2009-2010.

निग0अन्तर्गत धारा-50म0प्र0भू-रा0सं0

मान्यवर,

निगरानीकार की ओर से निगरानी निम्नलिखित है :-

राजेन्द्र

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0817–II/2013 जिला–सतना

राजेन्द्र कोटवार/ललित कुमार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एन0 साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	